न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 149/2021

रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, चिडावा जन कल्याण सेवा संस्थान, चिडावा, श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 23, चिडावा, जिला झुंझुनूं पिनकोड 333026, मो0न0 9413366054

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 26.08.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.08.2021 को ऑनलाईन पर दर्ज अपील दिनांक 10.08.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 149/2021 पर दिनांक 10.08.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /2474–75 दिनांक 10.08.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ.16(4)(5) न्याय/सू0अ0/20/1691 दिनांक 17.08.21 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी रविकान्त शर्मा पुत्र जुगल किशोर शर्मा, निवासी चिडावा जन कल्याण सेवा संस्थान, चिडावा, श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 23, चिडावा का आवेदन पत्र आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 04.07.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ.16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/230 दिनांक 12.07.21 के द्वारा चुनाव अनुभाग को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन अनुभाग ने अपने पत्र कमांक एफ.37(7)(8) विविध/चुनाव/2011/675 दिनांक 11.08.2021 से अवगत करवाया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना कुल 183 पृष्ठों मे है जिसके प्रति पृष्ठ 2 रूपये के हिसाब से कुल 366 रूपये राजकोष मे जमा करवाने पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु व्यक्तिशः उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ.16(4)(5) न्याय/सू0अ0/20/1691 दिनांक 17.08.21 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी रविकान्त शर्मा पुत्र जुगल किशोर शर्मा, निवासी चिडावा जन कल्याण सेवा संस्थान, चिडावा, श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 23, चिडावा का

आवेदन पत्र आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 04.07.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ.16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/230 दिनांक 12.07.21 के द्वारा चुनाव अनुभाग को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया हैं। प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन अनुभाग ने अपने पत्र कमांक एफ.37(7)(8) विविध/चुनाव/2011/675 दिनांक 11.08.2021 से अवगत करवाया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना कुल 183 पृष्ठों मे है जिसके प्रति पृष्ठ 2 रूपये के हिसाब से कुल 366 रूपये राजकोष मे जमा करवाने पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उसे 366 रूपये राजकोष मे जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर सूचना दिया जाना संभव है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं